संख्या:36/2016/154/35-4-2016

प्रेषक ,
जे. बी. सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,
प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग
उ0 प्र0 लखनऊ

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 27 जनवरी,2016

विषय: वर्ष 2015-16 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद खीरी से संबंधित सड़क निर्माण यथा: **महंगापुर से विशेनपुरी (बलुआ) तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य** को रू. 357.20 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि सम्मिलित है) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 178.60 लाख (रूपये एक करोड़ अठहत्तर लाख साठ हजार मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस कार्य के लिए कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग होगी:-

1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

2- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

3- शासनादेश संख्या-10/2015-427/35-1-2015 दिनॉक 10 अप्रैल,2015 के क्रम में उक्त कार्य का अनुश्रवण ई-परियोजना प्रबंधन के अंतर्गत किया जायेगा। इसके लिये निम्नलिखित सूचनायें स्वीकृति निर्गत होने के एक पक्ष के अन्दर शासन को अवश्य उपलब्ध करा दी जाये:-

अ- परियोजना प्रबन्धक का नाम/पदनाम
ब- परियोजना प्रबन्धक का मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आईडी
(परिवर्तन होने पर अद्यावधिक सूचना शासन को उपलब्ध कराई जाये)
स- परियोजना की अनुमानित/वास्तविक प्रारम्भ तिथि
द- परियोजना पूर्ण करने की अनुमानित तिथि

4- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक पक्ष में परियोजना को अलग-अलग चरणों में विभाजित करते हुये प्रत्येक चरण को पूर्ण करने की संभावित तिथियों का निर्धारण किया जायेगा। यह कट-आफ तिथियाँ माइलस्टोन के रूप में जानी जायेगी। इन माइलस्टोन्स में टेण्डर प्रक्रिया, अन्य विभागों से आवश्यक स्वीकृतियाँ/ अनापत्तियाँ, निर्माण कार्य के अलग-अलग चरण, उपकरण क्रय, सृजित अवस्थापना को संबंधित विभाग को हस्तान्तरित कर क्रियाशील बनाना आदि सम्मिलित होगा। इसी आधार पर कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा शासन द्वारा आनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से की जायेगी।

5- लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

6- निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न (Significantly different) होते हैं, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्य स्थल के विवरण इत्यादि सहित नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

7- प्रश्नगत कार्यो के लिये नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

8- प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।

9- जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

10- परियोजनाओं के लिए धनराशि आहरित कर बैंक / डाकघर / पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आहरित कर डिपाजिट कार्यों के रूप में कार्यदायी विभाग-द्वारा रेमिटेन्स लेखाशीर्ष "8782" के अन्तर्गत-सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कर, वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- ए-2-47 / दस-97-10(9) / 95, दिनांक 3 मार्च, 1997 में दिये गये निर्देशों के अनुसार डिपाजिट क्रेडिट लिमिट (डी.सी.एल.) निर्गत करके व्यय की जायेगी।

11- स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2016 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2016 से पूर्व समर्पित किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा- जोखा 31 मार्च, 2016 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

12- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2016 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

13- जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणात्मक कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा।

14- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा । कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस संदर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षणकर्ता को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

15- कार्य स्थल पर इसे त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ कार्य के मुख्य विवरण शिला पट्टिका / बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।

16- यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के बाद वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

17- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

18- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ का होगा और उनके द्वारा शासनादेश संख्या-10/2015-427/35-1-2015 दिनॉक 10 अप्रैल,2015 के क्रम में उक्त कार्य का अनुश्रवण ई-परियोजना प्रबंधन के अंतर्गत किया जायेगा। तदनुसार नियोजन विभाग की वेबसाइट (http://planning.up.nic.in/) पर कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति को अद्यावधिक किया जायेगा।

19- कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

20- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

21- त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-आयोजनागत-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-01-ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2014-231/2015 दिनांक 30 मार्च,2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जे. बी. सिंह)
विशेष सचिव

संख्या:36/2016/154(1)/35-4-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
6- मण्डलायुक्त, लखनऊ ।
7- जिलाधिकारी, खीरी ।
8- मुख्य विकास अधिकारी, खीरी ।
9- वरिष्ठ कोषाधिकारी, खीरी ।
10-गार्ड फाईल।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12-राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, खीरी ।
14-अधिशासी अभियन्ता,लो0नि0वि0,नि0ख0-3,खीरी।

आज्ञा से,

(जे. बी. सिंह)
विशेष सचिव